यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अक्षय कुमार/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सत्यवीर सिंह/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23/02/2019 से 27/02/2019 तक श्री वी0पी0 सिंह के अंशकालिक पर्यवेक्षण (दिनांक 23/02/2019) में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर०एन०यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राजेश डोभाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री नंदन सिंह भंडारी/लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.02.2018 से 15.02.2018 तक श्री नीरज चुन्गू/वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2015 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद नैनीताल के अंतर्गत लो0नि0वि0 खंडो–प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी तथा अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली द्वारा निष्पादित कराये गये मार्ग/सेतु/भवन निर्माण कार्यो का निरीक्षण/पर्यवेक्षण।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2016-17	-	-	91.48	91.48	-	-	-	-
2017-18	-	-	104.68	104.68	-	-	-	-
2018-19 (up to 1/2019)	-	-	112.05	109.05	-	-	-	3.00

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	-	-
2018-19 (up to 1/2019)	-	-	-	-		-

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

——सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन
——प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून
——मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी
—— अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
——अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 ठेकेदार पर रु 37.53 लाख का अर्थदण्ड (liquidated damages) अधिरोपित कर, वसूल न किया जाना एवं रु 161.71 लाख का व्यय करने के बावजूद अनुबंध गठन के 2 वर्ष बाद भी कार्य का पूर्ण न किया जाना।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं० 1573/2015 के अंतर्गत जनपद नैनीताल मे तल्ली पाली -मल्ली पाली मोटर मार्ग के किमी0 7 से किमी0 12 तक पुन:निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 408.54 लाख की शासनादेश संख्या 1858/III(2)/16-58 (एम०एल०ए०)/2015 टी०सी० दिनांक: 06 जून 2016 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 408.54 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 15 नवम्बर 2016 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी द्वारा प्रदान की गयी।

अधीक्षण अभियंता, द्वितीय वृत, लो०नि०वि० नैनीताल के अनुबन्ध एवं समयवृद्धि से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर से मैसर्स आर० जी० बिल्डवैल प्रा० लिमिटेड गाजियाबाद के साथ रू 375.34 लाख लागत का अनुबन्ध संख्या 38/SE-2 (2rd)/ 2016-17 दिनांक 31.12.2016 को गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक: 31.12.2016 को प्रारम्भ कर दिनांक 30.03.2018 को पूर्ण किया जाना था। लेकिन प्रश्न गत कार्य समाप्ति तिथि के 11 माह पश्चात भी पूर्ण नही किया गया था एवं न ही सक्षम अधिकारी द्वारा ठेकेदार को कार्य हेतु कोई समयवृद्धि स्वीकृत की गयी थी। अनुबन्ध की शर्तानुसार G.C.C.1.1(V) एवं GCC 46.1 "the liquidated damage for the whole of the work are (1/2000)th of the initial contract price rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damage for the whole of the works is 10% of the initial Contract Price." के अनुसार कार्य मे देरी करने पर रु **37.53 लाख** * **LD** आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन इकाई/खण्ड द्वारा आतिथि तक कोई भी धनराशि अधिरोपित कर वसूली नहीं गयी थी एवं न ही ठेकेदार के विरुद कोई उचित कार्यवाही की गयी। कार्य पर रु 167.71 लाख का व्यय किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर मे अवगत कराया कि अनुबन्ध की शर्तानुसार LD के सम्बंध मे कार्यवाही कर ली जाएगी। कार्य प्रगति पर है तथा ठेकेदार को अभी तक समयवृद्धि स्वीकृत नही की गयी। इस प्रकार इकाई के उत्तर से स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अत: कार्य मे देरी करने पर ठेकेदार पर रु 37.53 लाख का अर्थदण्ड (liquidated damages) अधिरोपित कर, वसूल न किया जाना एवं रु 161.71 लाख का व्यय करने के बावजूद अनुबंध गठन के 2 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

---

*अनुबंध के अनुसार LD का प्रावधान=1/2000 per day अर्थात रु 18767.09 per day (37534195.00*1/2000)

दिनांक 30.03.2018 के पश्चात दिनांक: 27.02.2019 तक कुल दिनो की संख्या= **334 दिन**

कुल अर्थदण्ड (liquidated damages)= **रु 62,68,208.06** (334*18767.09)

Limited the maximum amount of liquidated damage for the whole of the works is 10% of the initial Contract Price = **रु 37,53,419.50**

भाग–।। (ब)

प्रस्तर–2 कार्य की गुणवत्ता निरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः 4188/।।।(2)14–51(सामान्य)/13, दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता को रू0 2 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण किया जाना था तथा निरीक्षण जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाना था।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 02/2019) में देखा गया कि वृत्त कार्यालय के अनुबन्ध पंजिका वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक कुल 22 कार्य का अनुबन्ध रू0 2.0 करोड़ से उपर की लागत का गठित किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुसार रू0 2 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जाना था परन्तु वृत्त कार्यालय के निरीक्षण पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि रू0 2 करोड़ से अधिक लागत के कार्यो का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण नही किया जा रहा था और **न ही** निरीक्षण जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी थी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही/अनुपालन किया जायेगा। ईकाई के उत्तर से स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता को रू0 2 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्य का प्रत्येक दो माह में निरीक्षण किया जाना था तथा निरीक्षण जांच आख्या प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के माध्यम से शासन को प्रेषित की जानी थी।

अतः कार्य की गुणवत्ता निरीक्षण सम्बन्धी शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
<u>101/2014-15</u>		1
<u>90/2017-18</u>	-	1,2,3 & STAN(1)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत वर्षो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी जिसके सम्बन्ध मे अवगत करवाया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

<u>इकाई का सर्वोत्तम कार्य</u>

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधीक्षण अभियंता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **अप्रस्तुत अभिलेख**: शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री डी॰ एस॰ नबियाल	अधीक्षण अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधीक्षण अभियंता, द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र - 2